प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठः माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

एवं माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 272 /1995

श्रीमती गेंदकुंवर बाई

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ता/-

आर.एस.शर्मा, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मैं सहमत हूं

श्री सुनील कुमार सिंह,

न्यायाधीश

हस्ताक्षर/- सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

दिनांक 13-07-2011को सूचीबद्व करें

हस्ता/-

आर.एस.शर्मा,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठः माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

एंव माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 272/1995

अपीलार्थीः **श्रीमती गेंदकुंवर बाई, उम्र लगभग 27 वर्ष, विधवा गोतार गोण निवासी हिदाद थाना । जिला राजनांदगांव**

मध्यप्रदेश अब छत्तीसगढ़

बनाम

प्रत्यर्थीः

मध्यप्रदेश राज्य अब छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः-

श्री एफ.एस.खरे, अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री रविन्द्र अग्रवाल, राज्य/प्रत्यर्थी के पैनल अधिवक्ता ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2)के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

13 जुलाई, 2011 को

परिदत्त

राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश के अनुसार -

यह अपील दुर्ग के पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 238/94 में दिनांक 30-01-1995 को पारित निर्णय के विरूद्घ है। उक्त निर्णय में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया हैं । यह निर्देशित किया गया कि ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः

मृतक गोतार गोंड अपीलार्थी श्रीमती गेंदकुंवर बाई के पति थे। मृतक और अपीलार्थी अपने दो अप्राप्तव्यय बच्चों के साथ फिरंगी नामक व्यक्ति के घर में रह रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बरसन, जो कोंडेकासा गांव का कोटवार था, ने राजहरा पुलिस थाने में सूचना दिया कि मृतक को 17-5-1994 की सुबह तक गांव में जीवित देखा गया था और उसके बाद वह गांव में दिखाई नहीं दिया। उसने यह भी बताया कि अपीलार्थी भी 17-5-1994 को अपने मायके गई थी और तब से फिरंगी का घर, जहां मृतक और अपीलार्थी साथ रहते थे, बंद है और उस घर से दुर्गंध आ रही है। यह सूचना रोजनामचा सन्हा (प्रदर्श पी- 13) में दर्ज की गई। इसके बाद, पुलिस फिरंगी के घर गई और घटनास्थल के निरीक्षण का पंचनामा (प्रदर्श पी- 13) तैयार किया। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक को अपीलार्थी के चरित्र पर संदेह था और इसी बात पर उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। 17-5-1994 को, अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन के दाहिनी ओर कुल्हाड़ी से वार करके

हत्या कर दी और उसके बाद कमरे में गडढा खोदकर मृतक के शव को घर के अंदर दफना दिया और घर को बाहर से बंद करके अपने मायके चली गई। मृतक के शव को उस गडढे से निकाला गया जहाँ उसे दफनाया गया था। विवेचना अधिकारी ने पंचो को सूचना दी । मृतक के शव को (प्रदर्श पी- 15A) के तहत पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र चिखलाकासा भेजा गया जहाँ डॉ. एच. के. जोशी (अ सा -15) ने गर्दन के दाहिनी ओर एक कटा हुआ तिरछा घाव देखा, जिसका ऊपरी सिरा दाहिने कान के ठीक पीछे तक पहुँच रहा था घाव का आकार 3 इंच लंबा और 1/2 इंच चौड़ा था रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां और रीढ़ की हडडी सहित सभी कटी थीं।

गर्दन की दूसरी और तीसरी रीढ़ की हडडी कटी हुई थी। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण कोमा था, जो C2 C3 स्तर पर हुए कटे हुए घाव के कारण हुआ था, जिससे रीढ़ की हडडी दो टुकड़ों में कट गई थी। मृत्यु और पोस्टमार्टम के बीच के समय का अंतर 72 घंटे से 144 घंटे था। आगे की विवेचना में, अपीलार्थी का मेमोरंडम कथन 24-05-1994 को (प्रदर्श पी-6)दर्ज किया गया और अपीलार्थी के कहने पर कुदाली और कुल्हाडी (प्रदर्श पी-7) जब्त की गई। अपीलार्थी से साड़ी और पेटीकोट (प्रदर्श पी-2) और एक चाबी (प्रदर्श पी-8) भी जब्त की गई। विवेचना के बाद, निरीक्षक आर. के. शर्मा (अ सा -17) द्वारा देहाती नालिसी (प्रदर्श पी-16) दर्ज की गई और उसके बाद देहाती मर्ग (प्रदर्श पी-17) दर्ज की गई और 21-05-1994 को राजहरा पुलिस थाने में नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई। जब्त की गई वस्तुओं को रायपुर स्थित न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक के पास रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और एक रिपोर्ट (प्रदर्श -22) प्राप्त हुई। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) में बताया गया कि वस्तु ए और बी, यानी रक्त से सनी मिटटी, वस्तु डी , यानी ईंटें, वस्तु एफ , यानी कुदाली, वस्तु जी,यानी पेटीकोट, वस्तु जे1, यानी टी.शर्ट और वस्तु जे2, यानी पैंट, और वस्तु जे3, यानी अंडरवियर, रक्त से सने हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालोद के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया, जहां से इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने अंतरण पर प्राप्त किया , जिन्होंने विचारण किया और अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराते हुए दंडित किया ।

3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एफ. एस. खरे ने तर्क दिया कि अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध दर्ज करना अयुक्तियुक्त है । यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है। यदि परिस्थितियों को अक्षरशः भी मान लिया जाए, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की हत्या अपीलार्थी ने ही कारित की थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मेमोरेंडम और बरामदगी को साबित नहीं किया गया है। एफएसफल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) से यह स्पष्ट नहीं होता कि जब्त की गई वस्तुओं में मानव रक्त था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह सर्वविदित है कि प्रबल संदेह प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए, अपीलार्थी अपने विरूद्ध लगाए गए आरोंपों से बरी होने की हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/ प्रतिवादी के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रविंद्र अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय का समथर्न करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अ सा स्वाभाविक अ सा है। उनकी अ सी पूरी तरह विश्वसनीय है और अभियोजन पक्ष ने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से अंतिम बार साथ देखे जाने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य को सिद्ध कर दिया है।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का भी अध्ययन किया। यह स्वीकार किया जाता है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जिन मुख्य परिस्थितियों पर ध्यान दिया है, वे इस प्रकार हैः

1) यह एक घर में हुई हत्या है जहाँ मृतक और अपीलार्थी एक साथ रह रहे थे

2) मृतक और अपीलार्थी को आखिरी बार एक साथ देखा गया था

3) अपीलर्ता ने 17-05-1994 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच घर को ताला लगा दिया था और अपने मायके चली गई थी

4) मृतक का शव घर के उस कमरे में स्थित गडढे से बरामद किया गया जहां मृतक और अपीलार्थी एक साथ रह रहे थे और

5) अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर कुदाली जब्त की गई जिसमें खून था।

6. यह सर्वविदित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए अभियोजन पक्ष को सभी दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियों को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करना होगा और जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यह भी सर्वविदित है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता और न्यायालय को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

7. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बालक और अन्य (2008) 15 एससीसी 551 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

11. 9. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अवधारित किया गया है कि जहाँ कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो साक्ष्य के आधार पर, दोष सिद्घ करने का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ आरोपी की निर्दोषिता का किसी अन्य व्यक्ति के दोष सिद्घ होने के साथ असंगत पाई जाएँ। देंखे हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एससीसी एराडू बनाम हैदराबाद राज्य एआईआर एससी एराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य २ एससीसी ३३० उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी सम्लीमेंट एससीसी बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एससीसी और अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य सप्लीमेंर्टी एससीसी जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्घ किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि वे उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1954 एससी 621 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आरोपी कि निर्दोषता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को नकार दिया जाए और अपराध को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया जाए।

10. हम इस न्यायालय के सी. चेंग रेडडी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 10 एससीसी 193 के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह टिप्पणी की गई हैः

21. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष सिद्घ किया जाता है, वे पूरी तरह से सिद्घ होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति ही होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही, सिद्घ परिस्थितियाँ केवल आरोपी के दोष सिद्घ होने की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पादाला वीरा रेडडी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 1990 एससी 79 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

10. इस न्यायालय के कई निर्णयों में लगातार यह माना है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्यों को निम्नानुसार अवधारित कियाः

(1) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्घ करने का अनुमान लगाया जाता है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिएः

(2) वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से आरोपी के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हो

(3) परिस्थितियों को समग्र रूप से लेने पर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता न हो कि सभी मानवीय संभावनाओं

के आधार पर अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया था और किसी और द्वारा नहीं ; तथा

(4). दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए, और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के विपरीत भी होना चाहिए।

9.रामरेडडी राजेश खन्ना रेडडी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 10 एससीसी 172 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित कियाः

27. इसके अलावा, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की संभावना न हो। अपराध असंभव हो जाता है। ऐसे मामले में भी न्यायालयों संपोषक साक्ष्य की ओर देखना चाहिए।

(यह भी देंखेः पूलिस निरीक्षक,तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड,(2011))

(एससीसी 509 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश,(2005)3 एससीसी 114)

10. अब, हम अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जाँच करेंगे और यह देखेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त सिद्धांतो के अनुरूप अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

11. जहां तक इस बात का सवाल है कि यह घर में हुई हत्या है और वह भी तब जब अपीलार्थी और मृतक एक साथ रह रहे थे, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी और उसके पति गोतार गोंड (मृतक) फिरंगी (अ सा -2) के घर में किराएदार के रूप में एक साथ रह रहे थे। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. शकुनबाई (अ सा-4) ने पैरा 1 में बताया है कि मंगलवार को सुबह लगभग 8-9 बजे वह अपीलार्थी के घर सब्जियां लेने गई थीं और जब उन्होने अपीलार्थी से पूछा कि उन्होंने कौन सी सब्जियां पकाई है, तो अपीलार्थी ने बलाया कि उन्होंने दाल पकाई है। उस समय अपीलार्थी एक चारपाई पर बैठी थीं। इस अ सा ने आगे बताया है कि उसी दिन दोपहर लगभग 12 बजे अपीलार्थी ने अपना घर बंद कर लिया, फिरंगी (अ सा-2) से बस के बारे में पूछताछ की और उसके बाद घर से चली गई।

13. फिरंगी (अ सा-2) ने बताया है कि मृतक गोतार पिछले एक महीने से उनके घर मे किराएदार के रूप निवास कर रहा था । गोतार उनसे सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे मिली थी, उसके बाद उनसे कोई मुलाकाल नहीं हुई। उन्होने आगे बताया कि मंगलवार को दोपहर लगभग 12 बजे, जब वह एक आम के पेड़ के नीचे खड़े थे, तो उन्होने देखा कि अपीलार्थी घर के दरवाजे पर ताला लगा रही थी और अपने बच्चों के साथ जा रही थी। उन्होंने अपीलार्थी से पूछा कि वह कहां जा रही है। अपीलार्थी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. नकुलराम (अ सा-3) ने बताया है कि मंगलवार को गौतम (मृतक) सुबह नर्सरी में काम करने आया था और उसके बाद उससे कभी मुलाकाल नहीं हुई। शकुनबाई (अ सा-4), फिरंगी (अ सा-2) और नकुलराम (अ सा-3) के बयानों से स्पष्ट है कि मृतक गोतार को आखिरी बार 17-05-1994 को सुबह 9 बजे से पहले जीवित देखा गया था। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने 17-05-1994 को दोपहर लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच घर में ताला लगाकर घर छोड़ दिया था।

15. फिरंगी (अ सा-2) ने कंडिका 3 में बयान दिया है कि गुरूवार को उस किराए के मकान से दुर्गंध आ रही थी जहाँ मृतक और अपीलार्थी साथ रह रहे थे। उसने सोचा कि शायद कोई चूहा मर गया होगा। शुक्रवार को जब घर से अत्यधिक दुर्गंध आने लगी, तो उसने कमरे में झाँका और पाया कि कमरे की मिटटी को खोदने के बाद समतल करने की कोशिश की गई थी और उसे कमरे से दुर्गंध आती हुई महसूस हुई। उसने आगे बताया कि उसने जो कुछ देखा, वह गाँव के कोटवार बरसन (अ सा-1) को बताया।

16. बरसन (अ सा-1) ने बताया कि फिरंगी (अ सा-2) उसके घर आया था और उसने उसे सब कुछ बताया था, जिसके बाद उसने पुलिस थाने में सूचना दी। पुलिस अगले दिन घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोला। उन्होने कमरे में गडढ़ा खोदकर मृतक का शव बाहर निकाला। फिरंगी (अ सा-2) का बयान बरसन (अ सा-1) के बयान से मिलता-जुलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. निरीक्षक आर.के. शर्मा (अ सा-17) ने बताया कि वे तहसीलदार, डॉक्टर, उपनिरीक्षक सिंह और सहायक उप-निरीक्षक खान के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पंचनामा तैयार किया तथा उसके बाद दरवाजे का कुंडा तुड़वाया। शव को गडढे से निकाला गया और उसकी पहचान फिरंगी (अ सा-2) , ईश्वरलाल ताराम (अ सा-8)और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने की।

18. उपरोक्त अभियोजन पक्ष के अ साों के बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतक का शव घर के कमरे से निकाला गया था जहाँ मृतक और अपीलार्थी साथ रहते थे और शव को उस कमरे में बने गडढे से निकाला गया था जहाँ उसे दफनाया गया था। शकुनबाई (अ सा-4) और नकुलराम (अ सा-3) के बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतक को अंतिम बार 17-05-1994 को सुबह लगभग 9 बजे अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था।

19. कोंदीबाई (अ सा-5) ने बताया है कि उनका घर फिरंगी (अ सा-2) के घर के बगल में था। दोपहर लगभग 11 बजे (12 बजे) अपीलार्थी ने अपने घर में मिटटी इकटठा की थी। सांवली बाई अ सा-६ ने उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को अपीलार्थी ने अपने घर में मिटटी इकटठा की थी। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार को मुतक का शव उसके घर के बाहर निकाला गया था।

20.अभियोजन पक्ष के अ सां के उपरोक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने घर में मिटटी एकत्र की थी और यह भी स्पष्ट है कि जिस गडढे में मृतक को दफनाया गया था, उसे समतल करने का प्रयास किया गया था।

21.उपरोक्त सभी अ सां के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतक को अंतिम बार 17-05-1994 को सुबह लगभग 9 बजे अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था और यह भी स्पष्ट है कि उसी दिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अपीलार्थी अपने घर से चली गई थी और उसके बाद मृतक को किसी ने जीवित नहीं देखा था और मृतक का शव उस कमरे में बने गडढे से निकाला गया था जहाँ मृतक और अपीलार्थी साथ रह रहे थे। यह भी स्पष्ट है कि सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच का समय अंतराल बहुत कम है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए अपने बयान में फिंरगी (अ सा-2) से बस के बारे में पूछताछ करने, अपने घर का दरवाजा बंद करके चले जाने और दरवाजे पर लगे ताले की चाबी अपने भाई सायला उसारे के माध्यम से अपने बहनोई ईश्वरलाल ताराम (अपने पति के भाई) (अ सा-8) को भेजने की बात स्वीकार की है। ईश्वरलाल ताराम (अ सा-8) ने भी पैरा 4 में बयान दिया है कि अपीलार्थी के भाई सायला उसारे ने उन्हें घर की उक्त चाबी दी थी और उन्होंने वह चाबी पुलिस निरीक्षक को सौंप दी थी।

22. पटवारी अदुरम (अ सा-16) ने अ सी दी है कि वह घटनास्थल पर गए थे और उन्होंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था (प्रदर्श पी-1) उन्होंने आगे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बताया कि कमरे की प्रत्येक दीवार की ऊंचाई 7-8 फीट थी। कोई भी दीवार टूटी नहीं थी। दरवाजा खोले बिना कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। छत में एक छोटा सा छेद था और उस छेद से कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल उस छेद से कमरे में झांका जा सकता था। फिंरगी (अ सा-2) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में इस बात से इनकार किया है कि कोई भी बंद कमरे में दीवारों के आर-पार या ऊपर से प्रवेश कर सकता था।

23.ईश्वरलाल ताराम (अ सा-8) ने पैरा 4 में यह भी बयान दिया है कि अपीलार्थी के भाई सायला ने उन्हें घर की चाबी दी थी और उन्होंने वह चाबी पुलीस निरीक्षक को सौंप दी थी। उन्होंने आगे बयान दिया है कि ताले की एक और चाबी अपीलार्थी के पास से बरामद हुई थी, जो उसके घर में एक डिब्बे में रखी थी।

24.उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक को दफनाए गए घर में ताला तोड़े या खोले बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि ताले की दोनों चाबियां अपीलार्थी के पास थी। घर पर अपीलार्थी का ही पूर्ण अधिकार था और वह दीवारों से घिरा हुआ था, इसलिए किसी और का प्रवेश वर्जित था। अतः, इस स्थिति में किसी के लिए भी बंद घर मे प्रवेश करना, मृतक की हत्या करना और शव को घर के अंदर दफनाना संभव नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25.पुलिस निरीक्षक आर.के. शर्मा (अ सा-17) ने बताया है कि 24-05-1994 को उन्होंने अपीलार्थी का बयान (प्रदर्श पी -6) दर्ज किया था।

इसके बाद अपीलार्थी के कहने पर कुदाली और कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई। यू.एस. चंद्र (अ सा-10) का बयान पुलिस निरीक्षक आर.के. शर्मा (अ सा-17) के बयान से मिलता-जुलता है। इन अ साों के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कुदाली और कुल्हाड़ी (प्रदर्श पी-7) तथा चाबी (प्रदर्श पी-8) अपीलार्थी के निशानदेही पर जब्त की गई थी।

26. ईश्वरलाल ताराम (अ सा-8) ने बताया है कि साड़ी और पेटीकोट अपीलार्थी से जब्त किए गए थे (प्रदर्श पी-22)। निरीक्षक आर.के. शर्मा (अ सा-17) ने बताया है कि उन्होंने जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए रायपुर स्थित न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। प्रदर्श पी-22 रायपुर स्थित न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है। एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) के अनुसार, वस्तु ए और बी, यानी खून से सनी मिटटी, वस्तु डी, यानी ईंटें, वस्तु एफ, यानी कुदाली, वस्तु जी, यानी पेटीकोट, वस्तु जे1, यानी टी-शर्ट और वस्तु जे2, यानी पैंट,वस्तु जे3, यानी अंडरवियर खून से सने हुए थे।

27.उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-२२) यह नहीं दर्शाती कि जब्त की गई वस्तुओं पर पाया गया रक्त मानव रक्त था, निराधार है। रक्त से सनी कुदाली अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर जब्त की गई थी और अपीलार्थी से पेटीकोट भी जब्त किया गया था, तथा अभियोजन पक्ष के अ सों के बयान विश्वसनीय और निर्णायक पाए गए थे। इसलिए, जब्त की गई वस्तुओं पर पाए गए रक्त का मानव रक्त न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है।

28. अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पर्याप्त परिस्थिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं जिससे यह सिद्घ होता है कि मृतक की हत्या अपीलार्थी ने ही की है। हमारी राय में, अभियोजना पक्ष ने ठोस और पुख्ता परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना मामला साबित कर दिया है और सिद्घ परिस्थितियों के आधार पर, अपीलार्थी के पक्ष में कोई अन्य संभावित या तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

29. उपरोक्त कारणों से, हमें अपील में कोई सार नहीं मिलता। अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हस्ताक्षर/- **हस्ताक्षर/-**

सुनील कुमार सिन्हा, **आर.एस.शर्मा,**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AMIT TIWARI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur